

खण्ड ख
सुपरिवेक्षक र पुनरवलोकनकर्ताको मूल्याङ्कन

सुपरिवेक्षक समक्ष पेस गरेको मिति:-

पुनरवलोकनकर्ता समक्ष पेस गरेको मिति:-

| कार्य सम्पादन स्तर (कार्यविवरणको आधारमा) | सुपरिवेक्षकको मूल्याङ्कन | | | | पुनरवलोकनकर्ताको मूल्याङ्कन | | | | |
|---|--------------------------|-----------|-------|---------|-----------------------------|-----------|-------|---------|-------|
| | स्तर | अति उत्तम | उत्तम | सामान्य | न्यून | अति उत्तम | उत्तम | सामान्य | न्यून |
| | अङ्क | ६.२५ | ५.२५ | ४.२५ | ३.२५ | २.५ | २ | १.५ | १ |
| १) सम्पादित कामको समग्र परिमाण | | | | | | | | | |
| २) सम्पादित कामको समग्र लागत | | | | | | | | | |
| ३) सम्पादित कामको समग्र समय | | | | | | | | | |
| ४) सम्पादित कामको समग्र गुण | | | | | | | | | |
| जम्मा प्राप्ताङ्क:- अङ्क र अक्षरमा | | | | | | | | | |
| | पूर्णाङ्क: २५ | | | | पूर्णाङ्क: १० | | | | |
| ९५% भन्दा बढी र ७५%भन्दा घटी अङ्क दिँदा खुलाउनु पर्ने कारण: | सुपरिवेक्षकको | | | | पुनरवलोकनकर्ताको | | | | |
| | नाम:- | | | | नाम:- | | | | |
| | पद:- | | | | पद:- | | | | |
| | कर्मचारी सङ्केत नं.:- | | | | कर्मचारी सङ्केत नं. :- | | | | |
| | दस्तखत:- | | | | दस्तखत: | | | | |
| | मिति:- | | | | मिति:- | | | | |

लागतलाई मूल्याङ्कन गर्न सम्भव नदेखिएमा यस बापत् छुट्याइएको अङ्क बाँकी तीनवटा आधारहरूमा समानुपातिक हिसाबमा वितरण गर्न सकिनेछ । कुनै महलमा विवरण नअटाए छुट्टै पानामा खुलाई प्रमाणित गरी संलग्न गर्नु पर्नेछ । सुपरिवेक्षक र पुनरवलोकनकर्ताले प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०८० को दफा ३५ र प्रदेश निजामती सेवा नियमावली, २०८० को नियम ६३ मा तोकिएको आधारमा मूल्याङ्कन गरी प्रदेश निजामती सेवा नियमावली, २०८० को नियम ६२ बमोजिमको अवधिभित्र पुनरवलोकनकर्ता वा पुनरवलोकन समिति समक्ष पेस गर्नु पर्दछ । साथै प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०८० को दफा ३५ को उपदफा (१६) बमोजिम ९५ प्रतिशतभन्दा बढी र ७५ प्रतिशतभन्दा घटी अङ्क प्रदान गर्नु परेमा सोको स्पष्ट कारण खुलाउनु पर्नेछ र ७५प्रतिशत भन्दा घटी अङ्क दिएकोमा सम्बन्धित कर्मचारीलाई जानकारी गराई निजले प्रतिक्रिया दिएमा सो समेत राखी पुनरवलोकन समिति समक्ष पेस गर्नु पर्नेछ । प्राप्ताङ्कमा टिपेक्स लगाएमा टिपेक्स लगाउने मूल्याङ्कनकर्तालाई अख्तियारवालाले विभागीय कारवाही गर्नेछ ।

(खण्ड ग)
पुनरवलोकन समितिको मूल्याङ्कन

कर्मचारीको नाम:-

पद:-

तह:-

पुनरवलोकन समिति समक्ष पेस गरेको मिति:-

| व्यक्तिगत गुण एवं आचरण | स्तर | अतिउत्तम | उत्तम | सामान्य | न्यून |
|--|-------------|----------|---------|---------|-------|
| (क) अधिकृत छैटौं, सहायक पाँचौं र चौथो तहका कर्मचारीको लागि | अङ्क | १ | ०.७५ | ०.५० | ०.२५ |
| १) विषयवस्तुको ज्ञान र सिप | | | | | |
| २) गोपनीयता राख्न सक्ने क्षमता | | | | | |
| ३) निर्देशन अनुसार काम गर्न सक्ने क्षमता | | | | | |
| ४) उपस्थिति, समयपालना र अनुशासन | | | | | |
| ५) इमानदारिता र नैतिकता | | | | | |
| पूर्णाङ्क: ५ | प्राप्ताङ्क | अङ्कमा. | अक्षरमा | | |

| (ख) सहायक तृतीय, द्वितीय र प्रथम तहका कर्मचारीको लागि | स्तर | अतिउत्तम | उत्तम | सामान्य | न्यून |
|---|-------------|----------|---------|---------|-------|
| | अङ्क | १ | ०.७५ | ०.५० | ०.२५ |
| १) विषयवस्तुको ज्ञान र सिप | | | | | |
| २) निर्देशानुसार काम गर्न सक्ने क्षमता | | | | | |
| ३) काममा रुची र उत्साह | | | | | |
| ४) आज्ञापालना र अनुशासन | | | | | |
| ५) सजगता र शीघ्रता | | | | | |
| पूर्णाङ्क: ५ | प्राप्ताङ्क | अङ्कमा | अक्षरमा | | |

पुनरावलोकन समितिका पदाधिकारीहरूको

नाम पद कर्मचारी सङ्केत नं. दस्तखत

१)

२)

३)

कुल प्राप्ताङ्क: -

अङ्कमा:

अक्षरमा:

मिति:-

द्रष्टव्य:-

प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०८० को दफा ३५ को उपदफा (१६) बमोजिम पुनरवलोकन समितिले ९५ प्रतिशतभन्दा बढी र ७५ प्रतिशतभन्दा घटी अङ्क प्रदान गर्न परेमा सोको स्पष्ट कारण खुलाउनु पर्नेछ ।